कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 28 / 2023

रोशन तोमर पुत्र स्व. शिवकुमार
मार्फत चौधरी लीगल एसोसिऐट, पुरानेबिजलीघर के पास भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग (ए.डी.एम. शहर)कलेक्ट्रेट भरतपुर

...रस्पा०

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 26.6.2023

अपीलार्थी रोशन तोमर पुत्र स्व. शिवकुमार मार्फत चौधरी लीगल एसोसिऐट, पुरानेबिजलीघर के पास भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-4-2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 404 दिनांक 21.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग (ए.डी.एम.शहर)कलेक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, , प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग (ए.डी.एम.शहर)कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य / अपील /23/4652 दिनांक 26.6.23 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 11.4.23 के द्वारा , प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग (ए.डी.एम.शहर)कलेक्ट्रेट भरतपुर, से सूचना चाही गई है, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार किशोरी महल

......2

भरतपुर को जरिये पत्र कमांक सामान्य / आरटीआई / 23 / 2627 दिनांक 27.3.23 से अन्तरित किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से यह जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार से सम्बन्धित होने से उनके स्तर पर लम्वित है।

उपरोक्त विवेचनानुसारं अपील आंशिक रुप से स्वीकार जाती है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार किशोरी महल भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार किशोरी महल भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेकट्रेट,भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर